

# बिहार गजट

## अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श0)

(सं0 पटना 561) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

#### अधिसूचना 29 जून 2017

एस०ओ० 99 दिनांक 29 जून 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा—23 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल उन व्यक्यों को, जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने में लगे हैं, जिन पर कुल कर, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्त्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किए जाने का दायी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त है।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत होगी।

[(सं० बिक्री—कर / जी०एस०टी० / विविध—13 / 2017—2205)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

#### 29 जून 2017

एस०ओ० 100, एस०ओ० 99 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं॰ बिक्री–कर/जी०एस०टी०/विविध–13/2017–2205)] बिहार–राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

### The 29th June 2017

S.O 103 dated 29<sup>th</sup> June 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Bihar Goods and Service Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar hereby specifies the persons who are only engaged in making supplies of taxable goods or

services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force with effect from the  $1^{st}$  day of July, 2017.

[(No. Bikri-kar/GST/Vividh-13/2017-2205)]
By order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, बिहार गजट (असाधारण)561+571+10-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>